न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंट्वारा वाद सं0–261/2010

CIS No.-PS 22/2022

अनिरूद्ध प्रसाद चौहान एवं अन्य..वादीगण

बनाम

कौशल्या देवी एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
11.06.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 20.01.2026 अंदर आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया, जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल नहीं किया गया। अभिलेख आज वादीगण के आवेदन दिनांक 20.01.2026 पर आदेश हेतु नियत है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद लम्बन के दौरान प्रतिवादी सं0–01 मु0 कौशल्या देवी की मृत्यु हो गई परन्तु उनके वारीसानों की जानकारी का पता नहीं दिया जा सका। मु0 कौशल्या की मृत्यु की सूचना प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 03.01.2023 को दिया गया परन्तु मृत्यु की तिथि और उनके पुत्र एवं पुत्रियों की जानकारी नहीं दी गई। मु0 कौशल्या अपने पीछे तीन पुत्र हरिनारायण चौहान, राजकपुर चौहान, जयकिशोर चौहान एवं दो पुत्री रंजना कुमारी, सुनिता कुमारी को छोड़कर मर गई है जो उनके विविझ वारीसान है, जिनके मृत प्रतिवादी सं0–01 के स्थान पर प्रतिस्थापित करना न्यायहीत में आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–01 मु0 कौशल्या का नाम वादपत्र के प्रतिवादी कॉलम से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके विधिझ वारीसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 20.01.2026 को अंदर आदेश 22 नियम 04 व्यवहार	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–261/2010

CIS No.-PS 22/2022

अनिरुद्ध प्रसाद चौहान एवं अन्य...वादीगण

बनाम

कौशल्या देवी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 11.06.2026	प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया तथा निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं0–01 मु0 कौशल्या की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी सं0–01 मु0 कौशल्या का नाम वादपत्र के प्रतिवादी कॉलम से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके विधिज्ञ वारीसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान करें। वादीगण का आवेदन सामान्य प्रकृति का है। अतः न्यायहीत में वादीगण का आवेदन दिनांक 20.01.2026 को स्वीकार किया जाता है और वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र से प्रतिवादी सं0–01 का नाम विलोपित कर उनके जगह उनके विधिक वारीसानों का नाम आवेदनानुसार प्रतिस्थापित करें। तद्पश्चात वादीगण की ओर से जोड़े गए प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। आगामी दिनांक 31.07.2026 वास्ते अग्रीम कार्यवाही हेतु नियत किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	